

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक !! 2 /अलवर / 2016-17

यह प्रमाणित किया जाता है कि अस्त कि एक स्वामी ..

विवेधान है राजिल भाइल संदुल न्योर खत्र कियान गढ़वान जिला अलवर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958

(राजस्थान अधिनियम नं.28,1958)के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया

गया।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज

को अलवर में दिया गया।



अलवर।